26.7.19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 375, 374 कुल किता 02 रकबा 02.12 बीघा भूमि जो ग्राम भावलास परवार हल्का भावलास तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने जाने हेतु रास्ता विपक्षी के आराजी सं. 377, 376 मे से चाहता है। आराजी के पश्चिम दिशा की आराजी सं. 377 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नं. 376 रकबा 17 बिस्वा की दक्षिणी दिशा की मेड (पाली) पर 15 फीट की चौड़ाई का रास्ता कायम करने की ईस्तदुआ की।

: आदेश :

वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार मांडल की मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो पर अध्ययन कर मनन किया गया। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम भावलास परवार हल्का भावलास तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 375, 374 कुल किता 02 रकबा 2.12 बीघा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। एव मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु आराजी नं. 377 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा एव आराजी सं. 376 रकबा 17 बिस्वा की दक्षिणी दिशा की मेड के सहारे - सहारे विपक्षी की उपरोक्त आराजी मे यानि आराजी नं. 376 मे से 0.02 बिस्वा एव आराजी नं. 377 मे से 0.03 बिस्वा कुल रकबा 0.05 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	थानि 15 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, 15 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कर आने वाली भूमि की D.L.C. की दर से डबल गणना करते हुए प्रार्थीगण से राशि जरिये D.D. या नकद प्राप्त कर विपक्षी को भुगतान करे। भुगतान होने पर रास्ते मे आने वाली भूमि को विपक्षी के खाते मे से कम की जावे। ओर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम की जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	